

FOREST DEPARTMENT, GOVT. OF HARYANA

O/o Divisional Forest Office (T), Panipat

Forest Complex, Assandh Road Panipat, Phone: 0180-2650331, E-mail :dfopanipat04@yahoo.co.in

क्रमांक :- 291

दिनांक :- 31/6/21

सेवा में :-

Sh. Ayush Goel S/o. Sh. Ashok Goel
on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR),
Near Km. Stone No. 6, Village Khandra,
Tehsil Madlauda, Distt. Panipat

विषय : Diversion of 0.01309 Ha. of Forest Land for access to factory belonging to Sh. Ayush Goel S/o. Sh. Ashok Goel on Assan Kalan- Mor Majra Road (ODR), Near Km. Stone No. 6, Village Khandra, Tehsil Madlauda, Distt. Panipat. (Proposal No.FP/HR/Approach/45200/2020, Date of Proposal:-16-05-2020)

संदर्भ: उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के फाईल नं० 9-HRB028/2021-CHA दिनांक 09.03.2021.

.....

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराया जाता है कि उप-वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भाकित पत्र द्वारा त्रुटि लगाते हुये पुनः मौका निरीक्षण रिपोर्ट करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने बारे निर्देश दिये गये थे, निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.05.2021 को मौका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि आप द्वारा आवेदित किये गये प्रस्ताव में ले-आउट अनुसार जिस रास्ते की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आवेदित किया गया था, उसका प्रस्ताव तैयार तत्कालीन वन मण्डल अधिकारी द्वारा दिनांक 24.12.2020 द्वारा की गई मौका निरीक्षण अनुसार प्रस्ताव तैयार करके इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1225 दिनांक 30.12.2020 द्वारा उच्चाधिकारियों को भेज दिया गया था, जिसमें वन विभाग के 15 वृक्ष तथा 10 पौधे बाधित होते थे।

निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 19.05.2021 द्वारा मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि आप द्वारा आवेदित किये प्रस्ताव में ले-आउट अनुसार जिस भूमि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आवेदित किया गया था, मौका निरीक्षण अनुसार आप द्वारा आवेदित किये गये रास्ते की बजाये अन्य रास्ता उपयोग में लाया जा रहा है जिसमें वन विभाग के कोई वृक्ष/पौधे बाधक नहीं होते हैं। अतः यदि आप द्वारा आवेदित किये गये प्रस्ताव की बजाये अन्य रास्ता फैक्ट्री के रास्ते हेतु उपयोग में लाया जाना है तो आप ऑनलाईन साईट पर पुनः दस्तावेज अपलोड करते हुये हार्डकॉपी इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि आप द्वारा आवेदित किये गये प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

वन मण्डल अधिकारी, O/o
पानीपत।
31/6/2021
30.6.2021